छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

क्रमांक एफ 4–44 / सात–1 / 2012 रायपुर, दिनांक 8 जून, 2012

14 JUN 2012

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषयः– **औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु खण्डों में व्यपवर्तन न करने बावत ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 6–74 / 7–3 / 2010 दिनांक 23.मई, 2012 द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु 02 हेक्टेयर तक भूमि का व्यपवर्तन करने के अधिकार कलेक्टर को सौंपे गये हैं । समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.दिसम्बर.2011 द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु 5000 वर्गमीटर तक भूमि व्यवपर्तन के अधिकार भी कलेक्टरों को सौंपे गये हैं।(प्रतिलिपि संलग्न है)

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों से बचने हेतु कतिपय लोगों द्वारा टुकड़ों में व्यपवर्तन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं । यह स्थिति विधि की भावना के विपरीत है।

अतः समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि व्यपवर्तन हेतु टुकड़ों में प्रस्तुत आवेदन–पत्र स्वीकार न किए जाएं और न ही ऐसे आवेदन–पत्रों पर व्यपवर्तन के आदेश जारी किये जाएं ।

(पी.निहालानी)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 4–44 / सात–1 / 2012 रायपुर, दिनांक 8 जून, 2012

14 JUN 2012

प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव,माननीय राजस्व मत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,रायपुर
2– आयुक्त सह संचालक,भू–अभिलेख,छत्तीसगढ़ रायपुर
3– समस्त संभागीय आयुक्त,छत्तीसगढ़

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग